PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

<u>तेन्दू पत्ता की विक्रय सूची, निविदा सूचना, निविदा द्वारा बिक्री की शर्तें एवं निविदा प्रपत्र</u>

1. वर्ष–2017 सीजन की अवशेष व अन्य अवशेष तेन्दू पत्ता लाटों की लाटवार विक्रय सूची
2. तेन्दू पत्ता बिक्री हेतु निविदा सूचना – निविदा तिथि 15.01.2018
3. निविदा द्वारा तेन्दू पत्ता बिक्री की शर्तें
4. तेन्दूपत्ता की बिक्री हेतु निविदा–प्रपत्र

रेनुकूट लौगिंग प्रभाग, रेनुकूट
वर्ष–2017 तेन्दू पत्ता सीजन
सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की लाटें

क्रम संख्या	लाट संख्या/वर्ष	इकाई	वास्तविक बोरा	मानक बोरा	गोदाम
1	2	3	4	5	6
1	र–115/17	असनहर	1862	1347.585	अन्जू जायसवाल, दुद्धी
2	र–117/17	चोपन	837	537.828	लक्ष्मी नारायन, दुद्धी
	02 लाटें	कुल योग	2699	1885.413	
	02 लाटें	कुल योग इलाहाबाद क्षेत्र	2699	1885.413	

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

कर्वी लौगिंग प्रभाग, कर्वी
वर्ष–2017 तेन्दू पत्ता सीजन
सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता की अवशेष लाटें

क्रम संख्या	लाट संख्या/वर्ष	इकाई	वास्तविक बोरा	मानक बोरा	गोदाम
1	2	3	4	5	6
1	क–04/17	सरहट अ	636	453.070	सुलेमान गोदाम, मानिकपुर
2	क–06/17	कोटा कंडैला	1415	1040.805	सुलेमान गोदाम, मानिकपुर
3	क–08/17	बगरेही	886	652.295	सुलेमान गोदाम, मानिकपुर
4	क–13/17	भौरी	598	426.950	टी0पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
5	क–14/17	अगरहुंडा	1316	914.185	टी0पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
6	क–20/17	सरहट ब	1188	867.415	टी0पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
7	क–24/17	गुंइयाकला/कल्विहा	635	548.055	टी0पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
8	क–25/17	कडैया डांडी/मनकाछितैनी	661	549.050	टी0पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
9	क–33/17	लौरी	1366	1087.850	टी0पी0 गुप्ता गोदाम मानिकपुर
10	क–42/17	रूकमा खुर्द	1231	876.200	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
11	क–44/17	दुगंवा	1431	1057.520	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
12	क–45/17	खम्हरिया अ	1613	1208.280	मण्डी समिति गोदाम अतर्रा
	12 लाटें	कुल योग	12976	9681.675	
	12 लाटें	कुल योग झाँसी क्षेत्र	12976	9681.675	
	14 लाटें	कुल योग इलाहाबाद एवं झाँसी	15675	11567.088	

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

<u>कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम, संगम प्लेस, चतुर्थ तल, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।</u>

पत्रांक– 3085 /ते0प0/बिक्री/2017 दिनांक 28.12.2017

सेवा में,

मे0 आर0 डी0
एडवरटाइजिंग प्रा0 लि0,
257–चक, जीरो रोड़–इलाहाबाद।

विषय– तेन्दू पत्ता बिक्री सम्बन्धी सूचना का प्रकाशन।

महोदय,

कृपया निम्नलिखित सूचना को निम्न लिखित समाचार पत्रों में दिनांक 29.12.2017 को कम से कम स्थान में केवल एक बार प्रकाशित कराने का कष्ट करें। प्रकाशन के उपरान्त विज्ञापन बिल सरकारी विभागों हेतु निर्धारित न्यूनतम दरों पर तैयार कर प्रकाशित सामग्री की प्रति सहित दो प्रतियों में इस कार्यालय को भुगतान हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।–

1. दैनिक जागरण, इलाहाबाद, वाराणसी एवं झाँसी संस्करण।
2. हिन्दुस्तान, इलाहाबाद, वाराणसी एवं लखनऊ संस्करण।
3. दैनिक भाष्कर, रायपुर एवं भोपाल।
4. अमर उजाला, इलाहाबाद, बरेली एवं मुरादाबाद।
5. दैनिक आज, पटना एवं राँची।
6. आजकल, कोलकाता।
7. टाईम्स आफ इंडिया, लखनऊ, कानपुर, भोपाल, पटना राँची एवं कोलकाता संस्करण।
8. दि हिन्दू दैनिक समाचार पत्र, हैदराबाद।

उत्तर प्रदेश वन निगम, संगम प्लेस, चतुर्थ तल, सिविल लाईन्स, इलाहाबाद
दूरभाष एवं फैक्स – +91532–2427536

<u>तेन्दू पत्ता बिक्री हेतु निविदा सूचना – निविदा तिथि– 15.01.2018</u>

..र्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2017 सीजन में संग्रहीत तेन्दू पत्ता की व अन्य अवशेष लाटों की बिक्री हेतु दिनाँक 15.01.2018 को निविदाएं प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक/लौगिंग अधिकारी, रेनुकूट, मिर्जापुर, इलाहाबाद, कर्वी एवं प्रभागीय विकय प्रबन्धक/विकय अधिकारी, दुद्धी, वाराणसी, झाँसी एवं नजीबाबाद (सहारनपुर) के कार्यालयों में अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो उन्हीं कार्यालयों में उक्त तिथि 15.01.2018 को ही अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। किसी भी प्रभाग की किसी भी लाट की निविदा उक्त किसी भी कार्यालय में निविदा पेटी में अथवा रजिस्टर्ड डाक/कोरियर से दी जा सकती है, परन्तु निर्धारित तिथि व समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

उक्त निविदा से सम्बन्धित बिक्री सूची व बिक्री शर्तें एवं निविदा प्रपत्र क्षेत्रीय प्रबन्धक, इलाहाबाद क्षेत्र, इलाहाबाद, झाँसी क्षेत्र, लखनऊ अथवा उनके अधीन प्रभागीय विकय प्रबन्धकों/ विकय अधिकारियों के कार्यालय से दिनाँक 08.01.2018 से निर्धारित मूल्य का भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा सूचना, बिक्री सूची व बिक्री शर्तें एवं निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाईट www.upforestcorporation.co.in पर भी उपलब्ध रहेगी। इच्छुक निविदादाता वेबसाईट पर उपलब्ध निविदा प्रपत्र का उपयोग कर सकते हैं, परन्तु इसके लिये उन्हें अपने निविदा प्रपत्र के साथ एक सौ पचास रूपये (रू0 150.00) मात्र का निविदा प्रपत्र शुल्क (कर सहित) जो डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, इलाहाबाद के पक्ष में हो तथा इलाहाबाद पर देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, इलाहाबाद।

भवदीय,

(एस0 एन0 सिंह)

क्षेत्रीय प्रबन्धक, इलाहाबाद।

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

पत्रांक–3085 /ते0प0/बिक्री/2017/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
2. महाप्रबन्धक, तेन्दू पत्ता, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को उनके पत्रांक ते0प0– कै0–61/तेन्दू पत्ता बिक्री–2017 दिनांक 27.12.2017 के क्रम में।
3. महाप्रबन्धक, विपणन/उत्पादन/पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ/ इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक, झाँसी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
6. जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चित्रकूट, झाँसी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, जौनपुर, रायबरेली, मुरादाबाद एवं ज्योतिबा फुले नगर।
7. समस्त प्रभागीय लौगिंग/विक्रय प्रबन्धक, लौगिंग अधिकारी/विक्रय अधिकारी, उत्तर प्रदेश वन निगम, इलाहाबाद एवं झाँसी क्षेत्र।
8. प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, नजीवाबाद (सहारनपुर)।
9. वेबसाईट, उत्तर प्रदेश वन निगम।
10. तेन्दू पत्ता क्रेता गण को डाक से।
11. कार्यालय सूचना पट।

(एस0 एन0 सिंह)
क्षेत्रीय प्रबन्धक, इलाहाबाद।

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

<u>उत्तर प्रदेश वन निगम के द्वारा संग्रहीत तेन्दू पत्ता की निविदा द्वारा विक्री हेतु शर्तें</u>

पत्ता का ग्रेड एवं ''जहां भी है जैसे है'' के तहत विक्री

1– (अ) वन निगम द्वारा संग्रहीत तेन्दू पत्ता को गोदामों में निम्नलिखित दो श्रेणियों में अलग– अलग भण्डारित किया गया है।

1. सामान्य ग्रेड (ए):– जिन बोरो का पत्ता वर्षा या पानी से खराब न हो।
2. वर्षा से प्रभावित या पानी से खराब ग्रेड (बी):– जिन बोरों का पत्ता भीग जाने के कारण मटमैला /काला हो गया है।

सामान्य ग्रेड की पत्ती गोदामों में इकाईवार एवं लाटवार तथा वर्षा से प्रभावित श्रेणी की पत्ती इकाईवार/सेक्शनवार एवं लाटवार भण्डारित है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लाट की विक्री या निकासी ''जहाँ भी है जैसे है'' के तहत की जायेगी एवं वर्गीकरण के संबंध में कोई विवाद मान्य नही होगा। इच्छुक निविदादाता निविदा देने से पूर्व पत्ते का भली–भॉति निरीक्षण करके पत्ते की गुणवत्ता का आंकलन स्वयं करके निविदा दें। पत्ते की गुणवत्ता या श्रेणी के संबंध में कोई शिकायत बाद में मान्य या स्वीकार नही की जायेगी।

(ब) शर्त संख्या 1(अ) के अनुसार लाट की विक्री ''जहॉ भी है जैसे है'' के तहत होते हुए भी निगम को आवश्यकतानुसार लाट के तेन्दू पत्ता बोरो की पल्टाई, तौल एवं जांच आदि करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसे ''जहां भी है जैसे है'' के शर्त का कोई उल्लंघन नहीं समझा जायेगा।

(स) गोदाम में विक्री हुई लाट को यदि किसी परिस्थितिवश दूसरे गोदाम में स्थानान्तरण करना हो तो वन निगम को ऐसा करने का अधिकार होगा, जिसकी सूचना कम से कम 10 दिन पूर्व क्रेता को उसके द्वारा अनुबन्धित पते पर प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा लिखित रूप में दी जायेगी।

छंटाई का प्रतिबन्धः

2– लाट के बोरो की निकासी लगी हुई छल्ली में एक तरफ से दी जायेगी। निकासी के दौरान बोरा को काटकर पत्ता या बोरा छॉटने की अनुमति नही होगी। वह क्रेता जो लाट की निकासी छल्ली में से अपनी सुविधानुसार लेना चाहते हैं वह लाट का पूरा मूल्य एकमुश्त जमा करके ऐसा कर सकते हैं । परन्तु निकासी की अवधि इन विक्री शर्तों के अनुसार होगी।

निविदा सूचना तथा निविदा की विधिः

निविदा देने की तिथि तथा स्थानः

3– तेन्दू पत्ती की निविदा द्वारा विक्री हेतु लिफाफा बन्द निविदाएं आमंत्रित करने हेतु सूचना समाचार पत्रों तथा अन्य उपलब्ध माध्यमों से विज्ञापित करायी जायेगी। किसी भी तेन्दू पत्ती की विक्री से संबंधित प्रकाशित निविदा सूचना इन विक्री शर्तों का एक भाग होगी। निविदा सूचना में निविदा की तिथि, निविदा डालने तथा खुलने का स्थान एवं समय अंकित होगा। किसी भी प्रभाग के किसी भी लाट की निविदा उक्त निविदा सूचना में वर्णित स्थल पर दी जा सकती है।

निविदा दिया जानाः

4– लिफाफा बन्द निविदाएं निविदा पेटी में अथवा रजिस्टर्ड डाक/कोरियर से निर्धारित तिथि को निर्धारित स्थान पर निर्धारित समय तक दी जा सकती है। निविदा सूचना में निर्धारित तरीकों से भिन्न अथवा निर्धारित तिथि व समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं को स्वीकार नही किया जायेगा।

एक प्रभाग की दस लाटों के लिए एक निविदा प्रपत्र का प्रयोग किया जानाः

5– (अ) एक निविदा प्रपत्र में एक ही प्रभाग की 10 लाटो तक की निविदा दी जा सकती है तथा लिफाफे के ऊपर तेन्दू पत्ता निविदा मय निविदा तिथि दर्शाते हुए लिखा होना चाहिए। निविदा प्रपत्र क्षेत्रीय प्रबन्धक ,इलाहाबाद क्षेत्र, झांसी क्षेत्र अथवा उक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत किसी भी प्रभागीय लौगिग एवं विक्रय प्रबन्धकों/अधिकारियों के कार्यालय से निविदा सूचना में सूचित दिनांक से निर्धारित मूल्य के भुगतान के पश्चात् कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा सूचना विक्री सूची व बिक्री शर्ते एवं निविदा प्रपत्र उ0 प्र0 वन निगम की वेबसाईट **www.upforestcorporation.co.in** पर भी उपलब्ध है। इच्छुक निविदादाता बेवसाईट पर उपलब्ध टेण्डर फार्म का उपयोग कर सकते हैं परन्तु इसके लिये उन्हें अपने टेण्डर फार्म के साथ 150/– रूपये का निविदा फार्म शुल्क (कर सहित), जो डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 वन निगम इलाहाबाद के पक्ष में हो तथा इलाहाबाद पर देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा खुलने की निर्धारित तिथि व समय पर निविदाएं क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा गठित समितियों द्वारा खोली जायेगी व महा प्रबन्धक (तेन्दू पत्ता) उ0प्र0 वन निगम द्वारा नामित पर्यवेक्षकों की निगरानी में कार्यवाही की जायेगी।

(ब) यदि कोई निविदादाता एक ही लाट के लिए एक से अधिक निविदा देता है तो उसके द्वारा दी गई केवल उच्चतम निविदा दर पर ही विचार किया जायेगा।

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

(स) प्रत्येक निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि विक्री–सूची को भली–भॉति देखकर लौगिंग प्रभाग का नाम लाट संख्या व वर्ष, इकाई का नाम एवं वास्तविक बोरों की संख्या स्वच्छ एवं स्पष्ट अंकित करेगा। यदि इनमें कोई भिन्नता होती है तो उत्तर प्रदेश वन निगम को यह अधिकार होगा कि वह स्वविवेक से दिय गये प्रस्ताव की लाट संख्या निर्णीत करेगा जो क्रेता को मान्य होगा।

निविदा के साथ बन्धक राशिः

6– (अ) प्रत्येक लाट की निविदा हेतु सामान्य ग्रेड के तेन्दू पत्ता की लाटों के लिए एक सौ रूपया प्रति वास्तविक बोरा की दर से तथा वर्षा से प्रभावित ग्रेड के तेन्दू पत्ता की लाटों के लिए पच्चास रूपया प्रति वास्तविक बोरा की दर से बन्धक धनराशि देय होगी। इच्छुक निविदादाता किसी भी निविदा केन्द्र पर किसी भी विक्रय प्रभाग की लाट के लिए अपनी सुविधानुसार निविदा दे सकता है। निविदा प्रस्ताव के साथ क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 वन निगम, इलाहाबाद के नाम निविदा प्रपत्र में जितने लाटों की निविदा दी जाय उसके अनुरूप बन्धक धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर जो किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक का इलाहाबाद पर देय हो संलग्न किया जायेगा। एक क्रेता द्वारा दिये गये समस्त निविदाओं से संबंधित बंधक धनराशि का एक संयुक्त ड्राफ्ट भी स्वीकार किया जा सकता है। भले ही क्रेता द्वारा उस केन्द्र पर अन्य प्रभागों की लाटो में निविदा दिया गया हो, परन्तु बंधक धनराशि का समायोजन वन निगम द्वारा प्रभागवार किया जायेगा।

(ब) अगर किसी क्रेता द्वारा जितनी लाटों की निविदा दी गयी है उसके अनुसार पूर्ण बंधक धनराशि ड्राफ्ट के रूप में संलग्न नहीं की गयी है, तो कम से कम निविदत्त मात्रा के 10 प्रतिशत बोरों की पूर्ण बन्धक धनराशि निर्धारित रूप में लगाना अनिवार्य होगा, ऐसी दशा में वन निगम को अधिकार होगा कि क्रेता द्वारा दिये गये समस्त लाटों के निविदा में से किसी भी लाट में बंधक धनराशि का समायोजन कर लें। परन्तु यदि क्रेता द्वारा उक्त सीमा से अधिक लाटों के बोरे के लिए निविदा दी जाती है तो उसके द्वारा दी गई किसी भी निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

(स) यदि उप नियम (ब) के अनुसार मात्र किसी एक लाट में पूर्ण बंधक धनराशि समायोजन हेतु उपलब्ध नही होती है तो वन निगम हित में 40 प्रतिशत या उससे अधिक उपलब्ध बंधक राशि का उपयोग करते हुए लाट के अनुमोदन हेतु विचार किया जा सकता है।

(द) यदि निविदादाता अपने पूर्व में निगम के पास जमा धनराशि (भार मुक्त) को बंधक धनराशि के रूप में देना चाहता है तो निविदादाता को उत्तर प्रदेश वन निगम के संबंधित प्रभाग के प्रभागीय प्रबंधक से इस जमा धनराशि तथा उसके भारमुक्त होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर मूल में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा यह बंधक धनराशि के रूप में मान्य नहीं होगा।

(य) यदि निविदादाता द्वारा जमा बंधक धनराशि का बैंक ड्राफ्ट या पे–आर्डर इलाहाबाद के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर देय हो तो उसको स्वीकार करने अथवा न करने का अधिकार वन निगम को होगा।

निविदा प्रपत्र में विवरण देना तथा हस्ताक्षर करनाः

7– निविदा प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर लौंगिंग प्रभाग का नाम, लाट संख्या, इकाई/सेक्शन का नाम, मात्रा (वास्तविक बोरा में) तथा निविदा दर रूपया प्रति किलोग्राम (अंको व शब्दो में) का स्पष्ट उल्लेख करते हुए वांछित स्थान पर निविदादाता को अपना हस्ताक्षर करना होगा। यदि निविदा प्रपत्र भरते समय कोई संशोधन किया जाता है तो उसे काटकर स्पष्ट रूप से लिखना होगा तथा ऐसे संशोधन पर निविदादाता को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करना होगा। यदि प्रस्तावित निविदा दर अंको एवं शब्दो में भिन्न–भिन्न हो तो उच्चतम दर ही वैध दर मानी जायेगी।

सही पते का उल्लेख करनाः

8– पत्राचार हेतु यदि निविदादाता अपने स्थायी पते के अतिरिक्त किसी अन्य पते पर पत्र आदि प्राप्त करना चाहे तो वह ऐसे पते का स्पष्ट उल्लेख निविदा प्रपत्र में कर देगें। उक्त पते पर भी भेजे गये रजिस्टर्ड पत्र क्रेता को प्राप्त समझे जायेगें। यदि निविदा प्रपत्र में उल्लिखित पत्राचार के पते में कोई परिवर्तन हो तो निविदादाता रजिस्टर्ड पत्र द्वारा उसकी सूचना संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक को देगें। किसी भी समय छान–बीन करने पर यदि निविदा–दाता का पता गलत पाया जाता है तो उसका नाम काली सूची में संबंधित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा अंकित (अधिकतम तीन वर्ष के लिए) कर दिया जायेगा।

निविदादाता की हैसियत का उल्लेख किया जानाः

9– निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को जिस हैसियत से वह हस्ताक्षर कर रहा है उसका उल्लेख करना होगा। 'निविदादाता का नाम' के कालम में निविदादाता व्यक्ति अथवा फर्म अथवा कम्पनी जैसी भी स्थिति हो, का नाम अंकित करना होगा।

निविदा देने व खुलने के समय सदाचरणः

10– यदि कोई निविदादाता निविदा देने या निविदा खुलने के समय किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या शान्ति भंग करने का प्रयास करता है तो उसके द्वारा दी गयी निविदा अवैध घोषित करके निविदा के साथ जमा बंधक धनराशि को जब्त

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

कर लिया जायेगा तथा ऐसे निविदादाता को अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिये काली सूची में संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा दर्ज किया जा सकता है और अन्य कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

निविदा स्वीकृति की सूचनाः

11— निविदा स्वीकृति की सूचना सफल निविदादाता को सामान्यतया संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबंधक के कार्यालय से रजिस्टर्ड पत्र/पत्रवाहक द्वारा क्रेता के निविदा प्रपत्र पर उल्लिखित पते पर निविदा खुलने की तिथि से 40 दिन के अन्दर दे दी जायेगी। उक्त स्वीकृति की सूचना यदि सफल निविदादाताओं को निविदा की तिथि से 40 दिन के अन्दर नहीं प्राप्त होती है तो उन्हें चाहिए कि वे संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबंधक के कार्यालय से संपर्क कर इस संबंध में जानकारी प्राप्त करें। यदि वे ऐसा नही करते हैं तो स्वीकृति/अस्वीकृति अथवा अन्य जैसी भी स्थिति हो, की सूचना उन्हें प्राप्त हुई मानी जायेगी, परन्तु किन्ही कारणवश जो वन निगम के नियंत्रण से परे हो, वन निगम स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में निर्णय लेने में अपने को असमर्थ पाये तो ऐसी परिस्थिति में 40 दिन की अवधि में वह अवधि भी जुड़ जायेगी, जितनी अवधि तक वन निगम उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के तहत स्वीकृति/अस्वीकृति या किसी भी प्रकार की सूचना देने में असमर्थ रहा। सफल निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में दिये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया उत्तर प्रदेश वन निगम का पत्र उसे प्राप्त समझा जायेगा। संबंधित विक्रय प्रभाग के सूचना पट पर निविदा स्वीकृति की सूचना चस्पा कर दी जायेगी और इसे उक्त की सूचना समझा जायेगा। निविदा परिणाम उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाईट www.upforestcorporation.co.in पर भी उपलब्ध होगी।

एक ही दर के लिये नीलाम/लाटरी पद्धतिः

12— यदि एक ही लाट पर दो या उससे अधिक निविदादाताओं की दरें उच्चतम एवं बराबर हों तो ऐसी स्थिति में लाट की विक्री उन्हीं क्रेताओं के मध्य नीलाम द्वारा संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय में इनके द्वारा की जायेगी जिसमें प्रारम्भिक बोली निविदा की प्राप्त उच्चतम दर होगी। नीलाम द्वारा निस्तारण न हो पाने की स्थिति में लाटरी पद्धति द्वारा निस्तारण का अधिकार वन निगम को होगा।

निविदा की स्वीकृतिः

13— सशर्त निविदा स्वीकार करने अथवा न करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश वन निगम को होगा।

14— उच्चतम दर की निविदा स्वीकार करना आवश्यक नही है, बिना कारण बताये किसी निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 वन निगम को होगा।

जमानत व अनुबन्धः

15— (अ) सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति की सूचना हाथ से देने पर सूचना प्राप्त कराने की तिथि के 07 दिन के अन्दर तथा रजिस्ट्री द्वारा निविदा स्वीकृति की सूचना भेजने पर रजिस्ट्री भेजने के 10 दिन के अन्दर उसके पक्ष में स्वीकृत लाट के अनुमाानित विक्रय मूल्य का 15 प्रतिशत बतौर जमानत जमा करना होगा। परन्तु वर्षा से प्रभावित श्रेणी के तेन्दू पत्ता की लाटो के लिये जमानत की धनराशि लाट के अनुमानित विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत होगी तथा साथ ही प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के साथ अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक लाट की देय जमानत जमा न होने की दशा में लाट की विक्री स्वतः निरस्त हो जायेगी एवं जमा बंधक धनराशि स्वतः जब्त समझी जायेगी जिसकी कोई सूचना निविदादाता को देने का दायित्व वन निगम का नहीं होगा तथा लाट की पुनः विक्री करने के लिये वन निगम स्वतंत्र होगा। देय जमानत की धनराशि सम्बन्धित प्रभाग के प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी, उ0 प्र0 वन निगम के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक का बना हुआ बैंक ड्राफ्ट/पे—आर्डर जो संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के कार्यालय स्थल वाराणसी, दुद्धी एवं झॉसी पर देय हो स्वीकार किया जायेगा। लाट की निविदा के साथ जमा बन्धक धनराशि को समायोजित किया जा सकता है।

(ब) किसी अन्य व्यक्ति, फर्म कम्पनी या अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब की ओर से निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को अनुबन्ध करने के समय मुख्तारनामा या उसके पक्ष में सम्यक रूप से निष्पादित डीड या अन्य वैधानिक विलेख जिसमें उसे यह शक्ति दी गयी हो मूल रूप में निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने की दशा में उसके पक्ष में की गयी विक्री को निरस्त करके जमा बंधक धनराशि जब्त की जा सकती है। निविदादाता को अपने स्थायी पते के प्रमाण हेतु संबंधित तहसीलदार या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुबंध के समय देना अनिवार्य होगा तथा अपना नाम, पिता का नाम, अपना हस्ताक्षर एवं अपनी फोटो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाकर भी देना होगा।

(स) यदि कोई क्रेता अपने लाट का हस्तान्तरण किसी दूसरे क्रेता के नाम पर करना चाहता है तो ऐसा हस्तान्तरण दूसरे क्रेता द्वारा 10 प्रतिशत अतिरिक्त जमानत तथा हस्तान्तरण शुल्क के रूप में रूपया पांच हजार जमा करने के उपरान्त संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक उ0प्र0 वन निगम द्वारा लिखित आदेश से किया जा सकता है।

(द) यदि किसी क्रेता ने एक ही प्रभाग की कई लाटे एक साथ क्रय की हो तथा वह इन लाटों की जमानत व किश्तो का निर्धारण एक साथ कराना चाहता है तथा संयुक्त रूप से सभी लाटों के लिये एक अनुबन्ध करना चाहता है

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

तो केता के लिखित आवेदन पत्र पर ऐसा अनुबन्ध प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा किया जा सकता है। ऐसी दशा में उस अनुबन्ध की समस्त लाटो की कुल जमानत धनराशि का समायोजन अन्तिम निकासी के समय ही किया जायेगा।

जमानत एवं किश्त हेतु अनुमानित विक्रय मूल्य का आगणनः

16– जमानत तथा किश्तों का निर्धारण तथा अनुबन्ध की कार्यवाही प्रति वास्तविक बोरा 30 किलो ग्राम वजन मानते हुए समय से पूरी की जायेगी परन्तु शत प्रतिशत वजन के पश्चात किश्त की राशि का आकलन वास्तविक वजन के आधार पर करते हुए जमानत धनराशि में आवश्यकतानुसार धनराशि जमा कराकर/जमानत की अतिरिक्त धनराशि लाट के प्रथम किश्त में समायोजन किया जायेगा।

विक्रय मूल्य का भुगतान एवं माल के निकासीः

किश्त/विक्रय मूल्य का भुगतान तथा निकासी की मात्राः

17– देय जमानत जमा करने एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के स्तर से विक्रय मूल्य की किश्त जमा करने एवं लाट से तेन्दू पत्ता निकासी हेतु आदेश जारी किया जायेगा। प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा जारी किये गये निकासी आदेश में दर्शित देय धनराशि का भुगतान एवं लाट से तेन्दू पत्ता के निकासी केता को निम्नलिखित प्रकार से करनी होगी।

(अ) विक्रय मूल्य का भुगतानः

अनुमानित विक्रय मूल्य के भुगतान हेतु किश्तें निम्न प्रकार से निर्धारित की जायेंगीः–

1. प्रथम निविदा (जून/जुलाई/अगस्त) की लाटों के लिएः–

(I) रेनूकूट लौगिंग प्रभाग में परसोई एवं जुगैल गोदामों में भण्डारित लाटों के अलावा सामान्य ग्रेड की अन्य समस्त लाटों के लिये अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान चार बराबर किश्तों में करना होगा, जो 30 दिन के अन्तराल पर देय होगी। प्रथम किश्त विक्री की स्वीकृति की तिथि से 41वें दिन देय होगी। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान दो बराबर किश्तों में करना होगा। प्रथम किश्त 41वें दिन तथा दूसरी किश्त 30 दिन के अन्तराल पर देय होगी।

(II) रेनूकूट लौगिंग प्रभाग मे परसोई एवं जुगैल गोदामों में भण्डारित लाटों के लिये– रेनूकूट लौगिंग प्रभाग के अर्न्तगत परसोई तथा जुगैल स्थित गोदामो में भण्डारित सामान्य ग्रेड की तेन्दू पत्ता लाटों का अनुमानित विक्रय मूल्य निम्न प्रकार तीन बराबर किश्तों में देय होगा।

पहली किश्तः अन्य लाटों की भॉति स्वीकृति की तिथि के 41वें दिन।

दूसरी किश्तः स्वीकृति की तिथि के 101वें दिन।

तीसरी (अन्तिम) किश्तः स्वीकृति की तिथि के 131वें दिन।

वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के लिये प्रथम किश्त स्वीकृति की तिथि के 41वें दिन एवं दूसरी किश्त स्वीकृति की तिथि के 101वें दिन देय होगी।

2. द्वितीय निविदा (सितम्बर/अक्टूबर) की लाटों के लिएः–

सामान्य ग्रेड की समस्त लाटों के लिये अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान तीन बराबर किश्तों में करना होगा, जो 30 दिन के अन्तराल पर देय होगी। प्रथम किश्त विक्री की स्वीकृति की तिथि से 41वें दिन देय होगी। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान दो बराबर किश्तों में करना होगा। प्रथम किश्त 41वें दिन तथा दूसरी किश्त 30 दिन के अन्तराल पर देय होगी।

3. तृतीय निविदा (नवम्बर/दिसम्बर) की लाटों के लिएः–

सामान्य ग्रेड की समस्त लाटों के लिये अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान दो बराबर किश्तों में करना होगा, जो 30 दिन के अन्तराल पर देय होगी। प्रथम किश्त विक्री की स्वीकृति की तिथि से 41वें दिन देय होगी। वर्षा से प्रभावित ग्रेड की लाटों के अनुमानित विक्रय मूल्य का भुगतान एक किश्त में करना होगा। प्रथम किश्त 41वें दिन तथा दूसरी किश्त 30 दिन के अन्तराल पर देय होगी।

नोटः– यदि अन्तिम किश्त जमा करके निकासी करते समय विक्रय मूल्य अनुमानित विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो अन्तर की धनराशि जमा करने के बाद ही केता को निकासी दी जायेगी। अनुमानित विक्रय मूल्य से अधिक की धनराशि को अन्तिम किश्त जमा करने के 30 दिन के अन्दर परन्तु निकासी से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अन्तिम निकासी में विक्रय मूल्य अनुमानित मूल्य से कम होता है तो किश्तों की धनराशि वास्तविक विक्रय मूल्य की सीमा तक केता को जमा करनी होगी। ऐसी स्थिति में भी अन्तिम देय किस्त की देय तिथि से 60 दिन के अन्दर सम्पूर्ण निकासी केता को लेनी होगी। यदि केता अधिक धनराशि जमा कर देता है तो उसे केता के प्रार्थना पत्र देने पर वापस किया जायेगा।

4. यदि केता द्वारा कय की गयी लाट/लाटों का सम्पूर्ण विक्रय मूल्य प्रथम किश्त की देय तिथि तक जमा किया जाता है, तो उसे सम्पूर्ण विक्रय मूल्य की धनराशि पर एक प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

(ब) किसी भी समय जमा किश्त की धनराशि (जमानत को छोडकर) से अधिक मूल्य के माल की निकासी नहीं दी जायेगी। यदि कोई किश्त जमा है तो इसके विरूद्ध निकासी, अगली किश्त के देय तिथि से पूर्व तक ही क्रेता द्वारा ली जा सकती है, अर्थात क्रेता द्वारा निर्धारित किश्त की धनराशि जमा करने के उपरान्त यदि अगली किश्त देय हो जाती है तो पूर्व में जमा किश्त की धनराशि के विरुद्ध तब तक कोई निकासी नहीं दी जायगी, जब तक देय किश्त क्रेता द्वारा जमा न कर दी जाय। अन्तिम देय किश्त की तिथि से 60 दिन के अन्दर सम्पूर्ण माल की निकासी लेनी होगी, परन्तु मार्च से जून के मध्य 30 दिन के अन्दर ही सम्पूर्ण माल की निकासी लेनी होगी।

(स) यदि क्रेता निर्धारित किश्त से अधिक धनराशि जमा कर अधिक जमा धनराशि के अनुरूप निकासी लेना चाहता है तो उसे इस प्रतिबन्ध के साथ निकासी दी जा सकेगी कि उस अतिरिक्त धनराशि का समायोजन उक्त लाट की अन्तिम देय किश्त में किया जायेगा और इस प्रकार अतिरिक्त जमा धनराशि के अनुरुप ही निकासी आगामी निर्धारित किश्त की तिथि से पूर्व करनी आवश्यक होगी।

(द) क्रेता द्वारा निर्धारित किश्त जमा करने के उपरान्त (अन्तिम किश्त छोड़कर) अगली किश्त की देय तिथि से पूर्व तेन्दू पत्ता की निकासी लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा निकासी की देय अन्तिम तिथि से निकासी तक वास्तविक गोदाम किराया जो भी देय हो, प्रतिमाह लिया जायेगा। यदि 31 मार्च तक निकासी नही ली जाती है तो छः(06) पैसा प्रति सौ रूपये प्रति दिन की दर से प्लाट रेंट लेते हुए अधिकतम तीस (30) दिनों की मियाद वृद्धि की अनुमति सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकेगी।

शून्य कालः

यदि वन निगम किन्ही कारणाों से जो उसके नियंत्रण से परे हो, अधिकतम 60 दिन तक लाट की निकासी देने में असमर्थ होता है तो जितनी अवधि तक निगम अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के तहत निकासी देने में असमर्थ रहा उतनी अवधि को शून्य काल मानते हुए क्रेता को किश्त जमा करने एवं निकासी हेतु मियाद वृद्धि दी जायेगी। परन्तु इस प्रकार के शून्य काल के कारण क्रेता को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नही की जायेगी एवं न ही विक्री संविदा निरस्त होने योग्य होगी। जिस अवधि के लिये शून्य काल घोषित किया जायेगा उतने ही दिनों से निकासी की अवधि तथा अगली किश्तों की देयता की अवधि भी बढ जायेगी। परन्तु किसी भी हालत में बिना धनराशि जमा किये गये निकासी नहीं की जायेगी।

समय से किश्त न जमा करने पर विलम्ब शुल्क, बिक्री का निरस्तीकरण तथा क्रेता का नाम काली सूची में अंकित किया जानाः

18– (अ) यदि शर्त संख्या 17 के अनुसार निर्धारित किश्त की देय तिथि पर कोई क्रेता किश्त की धनराशि जमा नही करता है तो किश्त की देय तिथि से 07 दिन के अन्दर बिना कोई विलम्ब शुल्क दिये क्रेता किश्त जमा कर सकता है, परन्तु यदि क्रेता किश्त की देय तिथि से सात दिन के अन्दर किश्त जमा नहीं करता है और उसे बाद की तिथि से जमा करना चाहता है तो उसे इस आशय का लिखित आवेदन पत्र कारण दर्शाते हुये किश्त की देय तिथि से 15 दिन के अन्दर प्रभागीय कार्यालय में देना होगा। ऐसे लिखित आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रूप में रूपया 25.00 (पच्चीस रूपये) मात्र नकद या सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के नाम पर बैंक ड्राफ्ट के रूप मे जमा करके धनप्राप्ति रसीद लेना अनिवार्य होगा। बिना आवेदन शुल्क के उसके आवेदन पत्र पर कोई विचार नही किया जायेगा और यह समझा जायेगा कि उसने कोई आवेदन पत्र नही दिया है।

क्रेता द्वारा उर्पयुक्त विधि से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर विचार करते हुये सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा 06 पैसा प्रति सौ रूपये प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क लेते हुये किश्त की देय तिथि से भुगतान की तिथि तक अधिकतम 30 दिन की समय सीमा तक मियाद वृद्धि दी जा सकती है। इसके उपरान्त अगले 30 दिन तक पूर्व निर्धारित दर पर मियाद वृद्धि देने का अधिकार सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को होगा। इसके पश्चात विशेष परिस्थितियों में विलम्ब शुल्क सहित मियाद वृद्धि देने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 वन निगम लखनऊ को होगा।

(ब) शर्त सं0 18 (अ) के अनुसार यदि क्रेता किसी किश्त की देय तिथि तक किश्त जमा नही करता है या निर्धारित विधि के अनुसार बढाई गई समय सीमा में विलम्ब शुल्क सहित किस्त जमा नहीं करता है तो लाट की बिक्री स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा क्रेता की जमा जमानत जब्त कर ली जायेगी एवं उसका नाम काली सूची में अंकित कर दिया जायेगा। वन निगम ऐसे लाटों को पुनः बेचने के लिये स्वतंत्र होगा। क्रेता को उसकी लाट की बिक्री निरस्त होने की कोई सूचना देने का दायित्व वन निगम का नही होगा।

(स) शर्त 18 (ब) के अनुसार यदि किसी लाट की बिक्री निरस्त कर उसकी पुनः बिक्री की जाती है तो बिक्री के उपरान्त कम मूल्य प्राप्त होने पर क्रेता के विरूद्ध जब्त की गयी जमानत की धनराशि को समायोजित करने के पश्चात् अवशेष धनराशि का समायोजन अन्य लाटों के विरूद्ध निगम में जमा वापसी योग्य धनराशि से की जायेगी।

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

(द) यदि शर्त संख्या– 18 (स) में उल्लिखित प्रक्रिया के उपरान्त भी निगम को हुई आर्थिक हानि की सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति नही होती है तो, आर्थिक हानि की अवशेष धनराशि की वसूली क्रेता से भू–राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी।

निकासी की अवधि वृद्धि एवं गोदाम किरायाः

19– यदि कोई क्रेता निर्धारित समय के अनुसार लाट की सम्पूर्ण देय धनराशि जमा कर देता है परन्तु शर्त 17 (ब) के अनुसार निर्धारित अवधि में लाट के सम्पूर्ण माल की निकासी नहीं ले पाता है तो 2 रू0 प्रति वास्तविक बोरा प्रति माह की दर से गोदाम किराया लेकर निकासी हेतु अधिकतम 30 दिन की अवधि वृद्धि संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकती है। माह के अंश को गणना में पूरा माह माना जायेगा। पूरी किस्त की धनराशि जमा होने की स्थिति में विशेष परिस्थितियों में अगले 30 दिन तक संबंधित क्षेत्रीय प्रबन्धक को तथा इससे अधिक अवधि विस्तार का अधिकार आगामी 15 मई तक के लिये महाप्रबन्धक, तेन्दू पत्ता को होगा। तत्पश्चात लाट की बिक्री निरस्त कर जमा सम्पूर्ण विक्रय मूल्य जब्त किया जायेगा। क्रेता द्वारा प्राप्त की गयी निकासी की समय वृद्धि में यदि गोदाम में कोई दुर्घटना अथवा क्षति होती है तो उसका उत्तरदायित्व निगम का नहीं होगा।

20– शर्त सं0 18 तथा 19 में निर्धारित विलम्ब शुल्क तथा गोदाम किराया की दरो को प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को विशेष परिस्थितियों में, जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा, कम करने का अधिकार होगा।

जमानत का समायोजनः

21– जमानत की धनराशि का समायोजन यदि क्रेता के विरूद्ध कोई अन्य बकाया न हो तो लाट की अन्तिम किश्त के विरूद्ध किया जा सकता है।

निकासी का समयः

22– क्रेता को माल की निकासी सूर्योदय से सूर्यास्त तक दी जायेगी।

बैंक ड्राफ्ट द्वारा धनराशि का भुगतानः

23– विक्रय मूल्य का भुगतान प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के नाम बने बैंक ड्राफ्ट, जो संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के कार्यालय स्थान (दुद्धी को छोडकर) पर देय होगी, द्वारा करना होगा। मूल्य के भुगतान की प्राप्ति रसीद वन निगम की रसीद पर संबंधित गोदाम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील लगी हुई वैध मानी जायेगी। केवल विशेष परिस्थितियों में अधिकतम रूपये एक हजार तक की धनराशि नकद ली जा सकती है। दुद्धी विक्रय प्रभाग की लाटों के लिये बैंक ड्राफ्ट इलाहाबाद में देय होना चाहिए।

संयुक्त रूप से विभिन्न लाटों के लिये धनराशि जमा करते समय लाटों का विवरण दिया जानाः

24– यदि किसी क्रेता द्वारा किसी एक प्रभाग में कई लाटें एक साथ क्रय की गयी हों तथा उसके द्वारा किस्तों की धनराशि संयुक्त रूप से जमा की जाती है और विभिन्न लाटों में उसके समायोजन का विवरण नहीं दिया जाता है तो, उसके द्वारा जमा धनराशि का समायोजन गोदाम अधिकारी अपने विवेकानुसार क्रेता द्वारा क्रय की गयी लाटों के किस्तों के विरूद्ध करेगें एवं उसका विवरण धन प्राप्ति रसीद में लाटवार अंकित कर दिया जायेगा। अतः अपने हित में क्रेता धनराशि जमा करते समय उसके विभिन्न लाटों में समायोजन के संबंध में लिखित विवरण गोदाम अधिकारी को प्रस्तुत करके धन प्राप्ति रसीद में अंकित करवा लें। कोई भी गोदाम अधिकारी स्वयं अपने गोदाम में क्रेता की जमा धनराशि बिना प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक की पूर्व लिखित अनुमति के किसी दूसरे गोदाम हेतु हस्तान्तरित नहीं करेगा। प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के पूर्व लिखित अनुमति के पश्चात् गोादाम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जिस क्रेता की धनराशि हस्तान्तरित की जा रही है उस क्रेता का कोई बकाया तथा उसके द्वारा क्रय की गयी लाट की कोई किस्त हस्तान्तरण के समय बकाया नहीं है एवं धनराशि हस्तान्तरण की प्रविष्टि लाट लेजर में कर ली गयी है।

कर भारः

25– (अ) भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार तेन्दू पत्ता की बिक्री पर नियमानुसार क्रेता से आयकर की वसूली की जायेगी।

(ब) शर्त सं0 25 (अ) में वर्णित आयकर के अलावा तेन्दू पत्ता की बिक्री पर मण्डी शुल्क, जो वर्तमान में 2.5 प्रतिशत अथवा यथा संशोधित जैसी भी स्थित हो, की दर से देय हो, की वसूली क्रेता से पृथक से की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कर यदि शासन द्वारा लगाया जाता है तो उसकी भी वसूली संबंधित क्रेता से की जायेगी।

(स) वर्तमान में प्रचलित जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) अधिनियम/नियमावली के अनुसार तेन्दूपत्ता की बिक्री पर नियमानुसार जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) की वसूली क्रेता से की जायेगी।

नियमो का पालनः

26– यह स्पष्ट किया जाता है कि उ0 प्र0 में तेन्दू पत्ता का व्यापार, उत्तर प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित) द्वारा नियंत्रित होता है। इसके अतिरिक्त तेन्दू पत्ता एक वनोपज होने के कारण भारतीय वन

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

अधिनियम 1927 भी इस पर लागू होता है। उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत निकासी तथा तेन्दू पत्ता के परिवहन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने एवं सुसंगत नियमों का पालन करने का दायित्व क्रेता का होगा।

विविधः

27– शर्त संख्या 1, पत्तों के ग्रेड से संबंधित शिकायत के अलावा यदि अन्य किसी बात पर क्रेता द्वारा शिकायत की जाती है तथा लाट की जांच हेतु आवेदन किया जाता है तो ऐसे आवेदन पर की जाने वाली जांच के लिये रूपया पांच प्रति वास्तविक बोरा की दर से क्रेता को अग्रिम रूप से जमा करना होगा। यह धनराशि संबंधित प्रभाग के प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफट जो संबंधित प्रभाग के कार्यालय स्थान पर देय हो के रूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। उक्त धनराशि के बिना क्रेता के आवेदन पत्र पर कोइ विचार नहीं किया जायेगा तथा यह समझा जायेगा कि उसके द्वारा कोई आवेदन पत्र दिया ही नहीं गया है। जांच के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय यदि क्रेता के पक्ष में है तो उस स्थिति में ऐसे निर्णय के 15 दिन के अन्दर उक्त धनराशि क्रेता को वापस कर दी जायेगी तथा शिकायत सही होने की सीमा तक विवादित बोरों को अलग कर लाट का मूल्य तद्नुसार संशोधित किया जायेगा परन्तु शिकायत सही न पायी जाने की दशा में क्रेता उक्त धनराशि को वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। शिकायत एवं जांच प्रक्रिया से किस्त जमा करने की तिथियों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

28– इस बिक्री से संबंधित किसी भी लाट के संबंध में न्यायिक वाद केवल उसी न्यायालय में दायर किया जा सकता है, जिसके क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत उक्त लाट से संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक का कार्यालय आता है।

29– तेन्दू पत्ता निविदा संबंधित सूचना उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाईट www.upforestcorporation.co.in पर भी उपलब्ध है। इच्छुक निविदादाता इन्टरनेट पर उपलब्ध टेण्डर फार्म का उपयोग कर सकते हैं परन्तु इसके लिये उन्हें अपने टेण्डर फार्म के साथ 150 रूपये का निविदा फार्म शुल्क (कर सहित), जो डिमाण्ड ड्राफट के रूप में क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 वन निगम इलाहाबाद के पक्ष में हो, तथा इलाहाबाद पर देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

30– किसी भी समय लाट का अनुबन्ध होने के बाद भी, यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित क्रेता/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गति विधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

31– राज्य बार कौसिंल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी की अनुमति नहीं है। यदि कोई अधिवक्ता ऐसी ठेकीदारी में प्रतिभाग करते है तो उनके आवेदन सीधे निरस्त कर दिये जॉयेगे।

यदि ठेका/पट्टा आवंटित होने के बाद भी यह तथ्य संज्ञान में आता है, तो ऐसा ठेका/पट्टा निरस्त कर दिया जायगा।

आर्विट्रेशनः

32– शर्तो के पालन संबंधी विवाद में महाप्रबन्धक (तेन्दू पत्ता) उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ मध्यस्थ (आर्विट्रेटर) होगें, जिनका निर्णय अन्तिम व उभय पक्षों को मान्य होगा।

उत्तर प्रदेश वन निगम

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

उत्तर प्रदेश वन निगम
तेन्दूपत्ता की बिक्री हेतु निविदा प्रपत्र

लौगिंग प्रभाग का नाम.................................. निविदा की तिथि..................

कमांक	लाट संख्या	इकाई/सेक्सन का नाम	तेन्दूपत्ता की मात्रा(वा0बोरा)	निविदा दर प्रति कि0ग्रा0	
				अंको में	शब्दो में
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

संलग्नक–बैंक ड्राफट संख्या.......................................दिनांक..............................

बैंक का नाम... धनराशि रूपये.................................

मैने तेन्दूपत्ता बिक्री से सम्बन्धित बिक्री सूची देख ली है और बिक्री शर्ते पढ़ एवं समझ ली है । इन बिक्री शर्तो से मैं पूर्णतया सहमत हूँ ।

निविदादाता का पता साफ अक्षरों में

1– स्थायी पता पत्राचार का पता

निविदादाता का नाम .... निविदादाता के हस्ताक्षर..........................

मोबाइल नं0 ....

ई–मेल ....

नोटः 1. प्रश्नगत निविदा फार्म का उपयोग करने वाले व्यक्ति को निविदा फार्म का मूल्य 150.00 रूपये प्रति फार्म (कर सहित) की दर से क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, इलाहाबाद के पक्ष में बने डिमाण्ड ड्राफ्ट जो इलाहाबाद पर देय हो के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2. निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को जिस हैसियत से वह हस्ताक्षर कर रहा है उसका उल्लेख करना होगा। 'निविदादाता का नाम' के कालम में निविदादाता व्यक्ति अथवा फर्म अथवा कम्पनी जैसी भी स्थिति हो, का नाम अंकित करना होगा।

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

मूल्य कर सहित रूपये एक सौ पचास (रु०150) मात्र

उत्तर प्रदेश वन निगम
इलाहाबाद / झाँसी क्षेत्र

हेतु
बिक्री सूची तथा निविदा एवं विक्रय की सामान्य शर्तें

• • • • •

निविदा देने की अन्तिम तिथि व समय
15 जनवरी, 2018 को अपरान्ह 3.00 बजे तक

• • • • •

निविदा खुलने की तिथि व समय
15 जनवरी, 2018 को अपरान्ह 3.30 बजे से

• • • • •

निविदा देने व खुलने का स्थान

1. कार्यालय, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, रेनुकूट
2. कार्यालय, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, मिर्जापुर
3. कार्यालय, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, इलाहाबाद
4. कार्यालय, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, कर्वी
5. कार्यालय, प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, दुद्धी
6. कार्यालय, विक्रय अधिकारी, उत्तर प्रदेश वन निगम, वाराणसी
7. कार्यालय, प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, झाँसी
8. कार्यालय, प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, नजीबाबाद, सहारनपुर